कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री इण्डियन स्पोर्ट्स वेयर देवीनगर, एस0 के0 रोड, मेरठ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**42 / 12, 25.07.2012**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 सी0 रस्तोगी, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री इण्डियन स्पोर्ट्स वेयर देवीनगर, एस0 के0 रोड, मेरठ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए बैटिंग ग्लव्स एवं नी कैप पर करदेयता पूछी गयी है।

2. प्रार्थी की ओर से श्री एस0 सी0 रस्तोगी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-I के क्रमांक-51 पर Sports goods excluding apparels and Sports footwear को करमुक्त किया गया, से स्पष्ट है कि Sports goods के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं करमुक्त हैं। हैण्ड ग्लव्स और नी कैप खेलने में खिलाड़ियों द्वारा प्रोटेक्शन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं अत: स्पोर्ट्स गुड्स की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन पर भी कर का दायित्व नहीं बनता है। अन्त में तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मेरठ जोन के पत्रांक-1191, दिनांक 28.08.2012 से आख्या प्राप्त हुई है। आख्या में कहा गया है कि व्यापारी ने अपने धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया है कि नी कैप का व्यापार करना चाहते हैं। यह तथ्य सही नहीं है और इसको छिपाया गया है। वास्तविक रूप से व्यापारी नी कैप का व्यापार पूर्व से ही करते हैं और वर्ष 2006-07 में उनके द्वारा बिक्री भी घोषित की गयी थी तथा वर्ष 2012-13 में नी कैप की बिक्री की जा रही है और वर्ष 2008-09 में अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता भी निर्धारित की गयी है। अन्त में धारा-59 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार न करने का अनुरोध किया है।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि सर्वश्री वर्धमान स्पोर्ट्स कम्पनी, एल.आई. जी.-107, इन्द्रानगर, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 19.05.2011 में यह निर्णीत किया जा चुका है कि बैटिंग ग्लव्स और नी कैप उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-51 में सम्मिलित नहीं हैं अत: इस प्रविष्टि में न आने के कारण करमुक्त नहीं हैं।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। पूर्व में ही सर्वश्री वर्धमान स्पोर्ट्स कम्पनी, एल.आई. जी.-107, इन्द्रानगर, कानपुर के धारा-59 के निर्णय दिनांक 19.05.2011 द्वारा, प्रश्नगत वस्तुओं के सम्बन्ध में पूछी गयी करदेयता की स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। पुन: अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

.....2

<u>सर्वश्री इण्डियन स्पोर्ट्स वेयर / प्रा0 पत्र सं0-42 / 12 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 08 अक्टूबर, 2012

ह0 / 08.10.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।